कच्ची बस्ती मे संबंधित कार्यवाही विवरण

न्यास द्वारा कच्ची बस्ती का नियमन/आवंटन

न्यास अजमेर द्वारा न्यास क्षेत्र के अधीन आ रही सम्पूर्ण कच्ची बस्तियों का राज्य सरकार के निर्देशानुसार सर्वे आदि कर समय समय पर जारी राज्य सरकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित पटट्‌े जारी किये गये :–

- 2 अक्टूबर 1972 में क्राउन एक्ट के तहत भगवान गंज सांसी बस्ती व ट्राम्बे स्टेशन में बसे हरिजनों को मात्र एक रू0. में पटटे जारी किये गये । पटटे पर अंकित शर्त 01 के अनुसार जमीन किसी को बेची अथवा स्थान्तन्तरित नहीं की जा सकेगी ।
- 18 जुलाई 1975 एंव 19 जुलाई 1979 की अतिवृष्टि से प्रभावित 18 कच्ची बस्तीयां जिनके नाम निम्न प्रकार हैः–

1. बावडी पाडा(झलकारी नगर)
2. अशोक नगर भटटा
3. मैडिया भैरू
4. प्रताप नगर
5. रावडिया मौहल्ला (मायापुरी)
6. गुर्जर धरती
7. कुम्हार का बाडा(शंकर नगर)
8. उत्तम चन्द सुनार का बाडा
9. जादुगर
10. नागबाय
11. भजनगंज
12 उदयगंज
13. लुण करण का आहता
14. भगवानपुरा(पाल बीचला)
15. गुर्जर टीला
16. पुलिस लाईन
17. इदगाह हरिजन बस्ती
18 बागडी बस्ती आदि

में जिसमें लगभग 2765 परिवार प्रभावित हुये थे । जिन्हे न्यास द्वारा पुर्नवास योजना के तहत 50 व.ग. भूमि के पट्टे जारी किये गये । जिन पट्टों पर अंकित शर्त सं.–2 के अनुसार भूखण्ड की जमीन न्यास की स्वीकृति के बिना किसी को बेची अथवा हस्तान्तरित नहीं की जावेगी ।

- राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 21.01.82 के अनुक्रम में 15 कच्ची बस्तियों जिनके नाम निम्न प्रकार हैः–

1. नागफणी
2. बोराज रोड
3. चमार धाटी
4. लौगिया मौहल्ला
5. धानका बस्ती
6. शान्ति नगर मलूसर रोड
7. लोहाखान
8. बालूपुरा
9. तोपदड़ा सिन्धी बस्ती
10 तोपदडा बंजारा बस्ती
11 त्रिलोक नगर
12. रामबाग
13. सासी बस्ती भगवान गंज
14 कंजर बस्ती
15 जवाहर नगर

आदि की सर्वे सूची जिलाधीश महोदय से प्राप्त हुई। जिसमें पट्टे पर अंकित शर्त सं 1 के अनुसार आवंटित भूखण्ड के भूखण्डधारी (जिसका कब्जा नियमित किया गया है) 10 वर्ष से पूर्व विक्रय नहीं कर सकेगा ।

- शहरी क्षेत्रों मे कच्ची बस्तियों में 15 अगस्त 1998 तक के अनाधिकृत रुप से राजकीय भूमि पर बनाये गये आवासीय

निमार्णों के नियमन हेतु जिलाधीश कार्यालय से 48 कच्ची बस्तियों जिनके नाम निम्न प्रकार हैः–

1.धूधरा धाटी
2. इंदिरा कॉलोनी मीरशाह अली
3. जटिया हिल्स रेम्बूल रोड
4. हरि नगर
5. गणेशगढ़
6. राजीव कॉलोनी एल. आई.सी.
7. आतेड बस्ती
8. बोराज रोड
9. बाबूगढ
10. चमार घाटी(ऋषि घाटी)
11. कमला मौहल्ला
12 धानका बस्ती पडाव
13 त्रिलोक नगर(हरिजन बस्ती)
14. ईदगाह (हरिजन बस्ती)
15. मसूदा नाडी
16. शांति नगर बागडी बस्ती मलूसर रोड
17. भगवानगंज सांसी बस्ती
18. मोडिया भैरू
19. अशोक नगर भटटा
20 बालूपुरा
21. राबडिया मौहल्ला
22 बावडी पाडा
23. उदयगंज
24 भजनगंज
25 गुर्जर धरती
26कुम्हार का बाडा
27 लूनकरण आहता
28 गुजर टीला
29 प्रताप नगर भटट्।
30 नागबाय
31 तोपदड़ा बंजर बस्ती
32 तोपदडा बैरवा बस्ती
33 रामबाग कच्ची बस्ती
34 नागफणी
35 जवाहर बस्ती
36 चादर पालबीचला
37 बंजर बस्ती
38 लोहाखान
39 कोली बस्ती

40 लोगिया मौहल्ला
41 जादूगर
42 साधु बस्ती
43 पुलिस लाईन
44 अजय नगर
45 मिस्त्री मौहल्ला
46 उत्तम चन्द सुनार का बाडा
47 चीता नगर
48 सुभाष नगर

आदि की सूची प्राप्त हुई जिनमे राज्य सरकार के नियमानुसार पट्टे जारी किये गए । जिनमे पट्टे पर अंकित शर्त सं. 4–यह कि आवंटित भूखण्ड व उस पर निर्मित भवन किसी अन्य को विक्रय/दान/अन्य को हस्तान्तरित नहीं किया जावेगा। ऐसा विक्रय/दान/हस्तान्तरण/सदैव प्रतिबन्धित रहेगा। आवन्टी की मृत्युपरान्त उसका वैधानिक उत्तराधिकारी स्वतः आवन्टी माना जावेगा। इस आवन्टी पर भी किसी अन्य को विक्रय/दान/हस्तान्तरण कभी भी नहीं करने की शर्त लागू होगी ।

- जिन कब्जेधारियो को पटटे जारी किये है उन प्रकरणों में निम्न कार्यवाही सम्पादित की जाती है ।
- लीज डीड जारी करना/रहन रखने हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र/हस्तान्तरण अनुमति (पटटें पर अंकित शर्त के अनुसार)/खांचा भूमि के आवंटन की कार्यवाही/आवासीय भूखण्डों में निर्माण स्वीकृति की कार्यवाही/बकाया लीज वसूली ।

विकास कार्यः– नगर सुधार न्यास द्वारा स्वीकृत कच्ची बस्तियों में सम्पूर्ण स्वीकृत विकास कार्य करवाये जाते है। जिसकी सूची निम्न है :–

1. सड़क, नाली, नाला, पार्क फुटपाथ एवं पुलिया आदि का निर्माण करवाया जाता है।
2. विद्युतीकरण एवं जल संसाधन आदि का कार्य भी करवाये जाते है।
3. सामूदायिक भवन आदि का निर्माण कर विकास समिति को हस्तान्तरित कर दिया जाता है।